न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—379/2013/223 (2013/00068)

1. गुलाबसिंह पुत्र स्व0 रामलाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भांवता, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 हरीसिह,
2. किरणसिंह पुत्र स्व0 हरीसिंह,
3. मदन कंवर बेवा हरीसिंह,
4. दिनेश सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह,
5. अन्तर कंवर बेवा स्व0 नारायणसिंह,
6. मदनसिंह पुत्र लादूसिंह,
7. गंगासिंह पुत्र लादूसिंह,
8. दातार सिंह पुत्र स्व0 दुर्गासिंह,
9. जगदीश सिंह पुत्र स्व0 दुर्गासिंह,
10. मान कंवर बेवा स्व0 दुर्गासिंह,
11. मानसिंह पुत्र स्व0 रामलाल सिंह,
    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम भांवता, तह0 व जिला अजमेर ।
12. तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 23.9.2013 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 19/2003.

उपस्थितः—

1. श्री दिलीपसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः—31.12.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.9.2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम भांवता तहसील व जिला अजमेर स्थित पुराने खसरा नंबर 1988 नये खसरा नंबर 2435 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाह वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 8 लगायत 10 का 1/2

हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने वर्किंग जमाबंदी बनाते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा बिना किसी विधिक प्रावधान के वादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज लादूसिंह पुत्र जोधसिंह तथा वादीगण संख्या 8 लगायत 10 के पूर्वज दुर्ग सिंह पुत्र कल्याणसिंह की प्रविष्टि को हटा दिया तथा वर्किंग जमाबंदी में केवल प्रतिवादीगण के पिता रामलाल पुत्र दायमसिंह के नाम ही संपूर्ण खातेदारी का इंद्राज कर दिया जो अवैध प्रविष्टि होने से काबिल दुरूस्तनीय है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वाद में चाहा अनुतोष प्रदान किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.9.2013 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पो0 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रारंभ से प्रतिवादी/अपीलाट के नाम से दर्ज है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी प्रतिवादी/अपीलांट के नाम से लगा हुआ है । वादीगण ने तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है । दिनांक 17.9.2013 को वाद प्रतिवादी की साक्ष्य के लिये नियत था उसी रोज प्रतिवादी ने स्वंय की साक्ष्य पेश की तथा शेष साक्ष्य के लिये निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने अस्वीकार कर दिया तथा उसी दिन सारी साक्ष्य अभिलिखित करने का आदेश दिया गया जो समयाभाव के कारण संभव नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट के अभिभाषक को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । दिनांक 18.9.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 के अभिभाषक के ब्रीफ होल्डर श्री रघुनाथ सिंह अधी0न्याया0 में उपस्थित हुए थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ब्रीफ लेने से इंकार कर प्रतिवादी की अनुपस्थित दर्ज कर दी । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 2 की अनुपस्थिति दर्ज करने के बावजूद आदेश में बहस अंकित करते हुए निर्णय पारित किया है जो आदेशिका एवं निर्णय में परस्पर विरोधाभासी है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्यों के वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.9.2013 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । पुराने खसरा नंबर 1988 नये खसरा नंबर 2435 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाह वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 8 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने वर्किंग जमाबंदी बनाते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा बिना किसी विधिक प्रावधान के वादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज लादूसिंह पुत्र जोधसिंह तथा वादीगण संख्या 8 लगायत 10 के पूर्वज दुर्ग सिंह पुत्र कल्याणसिंह की प्रविष्टि को हटा दिया तथा वर्किंग जमाबंदी में केवल प्रतिवादीगण के पिता रामलाल पुत्र दायमसिंह के नाम ही संपूर्ण खातेदारी का इंद्राज कर दिया जो अवैध प्रविष्टि होने से काबिल दुरूस्तनीय होने से अधी0न्याया0 ने वादीगण का

वाद स्वीकार किया है । वादीगण/रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की होना साबित किया है । भू–प्रबंध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेशों के बिना पूर्व इंद्राज को बदलने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने संपमर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधी0न्याया0 ने एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 17.9.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली दिनांक 19.9.2013 को वास्ते बहस रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु अधी0न्याया0 ने वकील प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.9.2013 को नियत की तत्पश्चात् नियत दिनांक 18.9.2013 को प्रतिवादी की अनुपस्थित दर्ज कर वादीगण/रेस्पो0 की बहस सुनकर एवं लिखित बहस प्राप्त करते हुए वाद को दिनांक 23.9.2013 को एकतरफा में निर्णित किया है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि अपीलांट/प्रतिवादी को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते यदि इसके उपरांत भी अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष बहस हेतु उपस्थित नहीं होते तब एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निर्णय पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.9.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर